



Date: - 4th July, 2024

**Listing Department/ Department of Corporate Relations,
The Bombay Stock Exchange Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai, Fax- 022-22722037/39/41/61/3121/22723719
Scrip Code: 532524**

**Listing Department
The National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra- Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai- 51, Fax- 022-26598237/38- 022-26598347/48
Company Code: PTC**

Dear Sir/ Madam,

Sub.: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Newspaper Advertisement – PTC India Limited Postal Ballot Notice

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copies of newspaper advertisement of the Postal Ballot Notice published on July 4, 2024 in Business Standard (English) and Business Standard (Hindi).

We request you to kindly take the same on your record.

Thanking You,

For PTC India Limited

**Rajiv Maheshwari
Company Secretary
FCS- 4998**

Enclosures:

- Copy of Advertisement in Business Standard Delhi (in English)
- Copy of Advertisement in Business Standard Delhi (in Hindi)
- Copy of Advertisement in Business Standard Mumbai (in Hindi)
- Copy of Advertisement in Business Standard Chennai (in English)

PTC India Limited

(Formerly known as Power Trading Corporation of India Limited)

CIN : L40105DL1999PLC099328

2nd Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama Place New Delhi - 110 066 Tel: 011-41659138, Fax: 011-41659142

E-mail: info@ptcindia.com Website: www.ptcindia.com,

दूसरी कोशिश में भी लीथियम ब्लॉक के लिए नहीं आई बोली

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में स्थित लीथियम के भंडार का खनन अधिकार लेने के लिए कोई सामने नहीं आया है। इस मामले से सीधे जुड़े एक सूत्र ने बताया कि पिछले साल खोजे गए लीथियम भंडार के लिए दूसरी कोशिश में भी कोई बोली हासिल नहीं हो सकी है।

सरकार को फरवरी 2023 में देश का पहला लीथियम

भंडार जम्मू-कश्मीर में मिला था, जिसमें 59 लाख टन लीथियम होने का अनुमान लगाया गया था। नवंबर महीने में ज़रूरी 3 बोलीदाता सामने न आने के कारण पहली नीलामी नहीं हो सकी। उसके बाद मार्च में में इसे फिर नीलामी के लिए पेश किया गया, जिसमें बोली लगाने की अंतिम तिथि 14 मई तय की गई थी। *रॉयटर्स*

<div></div> <div>पीटीसी इंडिया लिमिटेड</div>
सीआईएन : L40105DL1999PLC09328
पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, एनबीसीसी टॉवर, 15 पीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 066
वेबसाइट : दूरभाष : 011-41659500, 41595100, 46484200, फ़ैक्स : 011-41659144
ई-मेल : info@ptcindia.com, वेबसाइट : www.ptcindia.com
पोस्टल बैलट की सूचना
सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संघीय रूप से 'अधिनियम') के नियम 20 और 22 के साथ पढ़ें, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 (सूचीबद्धता विनियम), भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक – 2 आदेश और अन्य लागू कानूनों और विनियमों, यदि कोई हो, जिसमें वर्तमान में लागू कोई वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है, के अनुपालन में, पीटीसी इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') 3 जुलाई, 2024 ('पोस्टल बैलट नोटिस') दिनांकित पोस्टल बैलट नोटिस में निर्धारित प्रस्ताव पारित करके अपने सदस्यों से केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई-वोटिंग/रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से अनुमोदन मांग रही है। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, सामान्य परिचय संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिचय संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिचय संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, परिचय संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, परिचय संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, परिचय संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, परिचय संख्या 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, परिचय संख्या 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022, परिचय संख्या 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और परिचय संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 ('परमसीए परिचय')। उन सभी सदस्यों को ईमेल के माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग के बारे में निर्देशों के साथ पोस्टल बैलट नोटिस भेजने की प्रक्रिया, जिनका ईमेल पता कंपनी के साथ या डिजॉजिटेरी / डिजॉजिटेरी प्रतिभागियों या कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रॉस्टार एजेंट ('आरआईए') के साथ पंजीकृत है और जिनके नाम शुक्रवार, 28 जून, 2024 ('कट-ऑफ तिथि') तक सदस्यों के रजिस्टर/लामार्थी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं, 3 जुलाई, 2024 को पूरा हो गया है। एमसीए परिचयों की आवश्यकताओं के अनुपालन में, इस पोस्टल बैलट के लिए पोस्टल बैलट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस लिफाफे के साथ पोस्टल बैलट नोटिस की भौतिक प्रति सदस्यों को नहीं भेजी जाएगी और सदस्यों को केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी सहमति या अस्हमति व्यक्त करनी होगी। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल इन्फोरोटीज डिजॉजिटेरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') को ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि : <div> <div><div>(क) सभी सदस्यों के लिए ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 4 जुलाई, 2024 (सुबह 9:00 बजे आईएसटी) से शुरू होगी और शुक्रवार, 2 अगस्त, 2024 (सम 5:00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी, चाहे वे भौतिक रूप में शेरर रखते हों या डीमैट रूप में। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त समय और तिथि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार खाले गए बोट को बाद में बदला नहीं जा सकता है।</div></div> <div>(ख) एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिजॉजिटेरी द्वारा बनाए गए लामकारी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ यानी शुक्रवार, 28 जून, 2024 को दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।</div> <div>(ग) श्री आशीष कपूर, प्रेसिडेंटिंग कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या एफ8002 और सी.पी. संख्या 7504) को रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए स्कुटीनाउजर नियुक्त किया है।</div> <div>(घ) पोस्टल बैलट/ई-वोटिंग के नतीजे रिमोट ई-वोटिंग के समापन से दो (2) कार्य दिवसों की अवधि के भीतर अद्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा घोषित किए जाएंगे और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किए जाएंगे। स्कुटीनाउजर की रिपोर्ट के साथ नतीजे कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर रखे जाएंगे और उन स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाएंगे जहां कंपनी के शेरर सूचीबद्ध हैं।</div></div> सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके अपनी ईमेल आईडी को स्थायी रूप से पंजीकृत करें : <div> <div><div>क) भौतिक मोड में शेरर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी रजिस्ट्रार के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत / अपडेट नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे सुसंगत विवरणों, फोनियो नंबर के साथ और पैन कार्ड की एक स्क-सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए cs@ptcindia.com पर स्थितिगत हस्ताक्षरित अनुबंध फॉर्म आईएसआर-1 / पत्र भेजकर एमसीए शेरर ट्रॉस्टार एजेंट लिमिटेड के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत / अपडेट करें।</div></div> <div><div>ख) डीमैटरिजलान्ड्स मोड में शेरर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिजॉजिटेरी प्रतिभागियों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत / अपडेट करें।</div></div></div> अधिक जानकारी के लिए, कृपया पोस्टल बैलट की सूचना देखें। सूचना कंपनी की वेबसाइट (www.ptcindia.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है। इस सूचना की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी चाहने वाला कोई भी सदस्य हमें cs@ptcindia.com पर लिख सकता है। इसके अलावा, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध पोस्टल बैलट की सूचना में उपलब्ध मतदान के लिये विस्तृत निर्देश सहित विवरण दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहित इस पोस्टल बैलट से संबंधित किसी भी प्रश्न की स्थिति में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सहायकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी ढावने, अद्यक्ष, नेशनल इन्फोरोटीज डिजॉजिटेरी लिमिटेड, ट्रेड बल्ड, 'ए' विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013 से निर्दिष्ट ईमेल पते : evoting@nsdl.com पर संपर्क कर सकते हैं।

कार्यवाही/जमानती/बंधककर्ता को 30 दिनी बिक्री नोटिस
उपरोक्त कार्यवाही/बंधककर्ताओं/जमानतियों को एगुदादारा नीलामी की तिथि से पूर्व चाहे 13(2) के तहत मांग नोटिस में क्याउलतिखित राशि का अदातन ब्याज व ब्याज संश्लेष मुदानत करने के लिए सूचित किया जाता है, अन्वया संश्लित की नीलामी की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, की आपसे ब्याज व अदातन सहित वसूली की जायेगी।

दिनांक: 04.07.2024, स्थान: राजस्थान

जून में सेवा पीएमआई में इजाफा

शिवा राजौरा

नई दिल्ली, 3 जुलाई

भारत के सेवा क्षेत्र में जून के दौरान सुधार हुआ। इसके पहले मई में सेवा क्षेत्र पांच महीने के निचले स्तर पर आ गया था। जून में नए ऑर्डर बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय बिक्री में अभूतपूर्व बढ़त से भारत के दबदबे वाले सेवा क्षेत्र में तेजी आई। एक कारोबारी सर्वेक्षण के अनुसार कंपनियों ने बीते दो वर्षों से सबसे तेजी से नई नियुक्तियां कीं।

एचएसबीसी के बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र का पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) बढ़कर 60.5 हो गया जबकि मई में यह 60.2 था। यह सूचकांक 50 से ऊपर होना बढ़त को दर्शाता है। पिछले तीन वर्षों से सेवा क्षेत्र का पीएमआई 50 से ऊपर बना हुआ है।

सर्वेक्षण के अनुसार, 'जून का आंकड़ा भारत के सेवा क्षेत्र में लगातार बढ़त को दर्शाता है। हालांकि मई में बढ़त की दर पांच माह के निचले स्तर पर थी, लेकिन नए ऑर्डर और अंतरराष्ट्रीय बिक्री में तेजी से इजाफा होने के कारण जून में विस्तार हुआ। यही नहीं, जून में नियुक्तियों के स्तर में अगस्त



■ नए ऑर्डर और अंतरराष्ट्रीय बिक्री के असर से जून में पीएमआई बढ़कर 60.5 हो गया जबकि मई में यह 60.2 था।

■ अगस्त 2022 के बाद सबसे ज्यादा तेज गति से नियुक्तियां

2022 के बाद सबसे तेजी से इजाफा हुआ। नए कार्य आने के कारण अल्पावधि और स्थायी कर्मचारियों की नियुक्तियों में इजाफा हुआ।

भारत के सेवा प्रदाताओं के जून के नए ऑर्डर में इजाफा हुआ और यह लगभग तीन वर्षों से चल रही प्रगति को ही दिखाता है। मई की तुलना में जून में वृद्धि की गति अधिक थी और यह दीर्घावधि औसत से भी अधिक थी। एचएसबीसी में भारत की प्रमुख अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने बताया कि मुख्य रूप से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिले नए ऑर्डर की वजह से सेवा क्षेत्र में विस्तार हुआ। इस बढ़त ने कंपनियों को नई भरतियां करने के लिए प्रोत्साहित किया।

एनबीएफसी के उपभोक्ता व गोल्ड लोन में गिरावट

अभिजित लेले

मुंबई, 3 जुलाई

वित्तीय कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर भारतीय रिजर्व बैंक की चेतावनी व कार्रवाईयों का असर नजर आ रहा है। वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा दिया गया उभोक्ता ऋण और गोल्ड लोन वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही की तुलना में कम हुआ है।

फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (एफआईडीसी) के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में दिया गया उपभोक्ता ऋण वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही की तुलना में 16.2 प्रतिशत कम हुआ है। वहीं इस अवधि के दौरान गोल्ड लोन में 6.5 प्रतिशत गिरावट आई है। कुल मिलाकर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने चौथी तिमाही में 25,358 करोड़ रुपये ऋण दिया है, जो तीसरी तिमाही के 30,269 करोड़ रुपये की तुलना में कम है। मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में स्विकृत गोल्ड लोन भी 6.5 प्रतिशत कम हुआ है। कुल मिलाकर चौथी तिमाही में 47,092 करोड़

चौथी तिमाही में ऋण में वृद्धि (% में)		
सेमेंट	सालाना	तिमाही
वाहन ऋण	14.0	-8.9
उपभोक्ता ऋण	13.7	-16.2
वाणिज्यिक वाहन ऋण	7.0	5.9
गोल्ड लोन	18.2	6.5
व्यक्तिगत ऋण	12.5	1.4
स्रोत – एफआईडीसी-सीआरआईएफ		

रुपये जारी किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में 50,340 करोड़ रुपये कर्ज दिया गया था। व्यक्तिगत ऋण भी सुस्त रहा है और वित्तीय कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में इसके पहले की तिमाही की तुलना में महज 1.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। उपभोक्ताओं को उधारी देने के कुछ सेक्टरों जैसे शिक्षा ऋण, उपभोक्ता ऋण और गोल्ड लोन में तिमाही आधार पर ऋण में कमी आई है। एफआईडीसी ने एक बयान में कहा है कि संभवतः यह रिजर्व बैंक की ओर से सावधानी बरतने के दिशानिर्देशों के कारण हुआ है।

पिछले साल नवंबर में रिजर्व बैंक ने असुरक्षित ऋण पर जोखिम

अधिभार बढ़ा दिया था, जिससे कि इस तरह के कर्ज दिए जाने की रफ्तार में कमी आ सके। उसके बाद रिजर्व बैंक ने आईआईएफएल फाइनेंस के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया था, जो गोल्ड लोन कारोबार की बड़ी कंपनी थी। रिजर्व बैंक ने पर्यवेक्षण संबंधी मसलों को लेकर आईआईएफएल को नए ऋण जारी न करने के निर्देश दिए थे।

वित्त वर्ष 2025 के परिदृश्य के बारे में एफआईडीसी के चेयरमैन केवी श्रीनिवासन ने बिजनेस स्टैंडर्ड्स से कहा कि पहली तिमाही हमेशा सुस्त तिमाही रहती है और इसकी पूरे वित्त वर्ष के कारोबार में कम हिस्सेदारी होती है।

अतिरिक्त नकदी 2 माह के उच्च स्तर पर

अंजलि कुमारी

मुंबई, 3 जुलाई

सरकार के व्यय और सरकारी प्रतिभूतियों के परिपक्व होने के कारण बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त नकदी 2 माह के उच्च स्तर 91,225 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। बाजार के डीलरों ने यह जानकारी दी।

चालू वित्त वर्ष में 18 अप्रैल से अब तक नकदी अधिशेष उच्चतम स्तर पर है। प्रामइमरी डीलरशिप में एक डीलर ने कहा, 'सरकार के बैंक और सरकारी प्रतिभूतियों का भुगतान करीब 60,000 करोड़ रुपये रहा है।' उन्होंने कहा कि निकट अवधि के हिसाब से अतिरिक्त नकदी 60,000 से 80,000 करोड़ रुपये के बीच रह सकती है।

इसी क्रम में 3 माह और 6 माह के ट्रेजरी बिल पर यील्ड 2 आधार अंक गिर गई है। वहीं 365 दिन के ट्रेजरी बिल पर पिछले सप्ताह की तुलना में यील्ड 1 आधार अंक कम हुई है।

बाजार से जुड़े हिस्सेदारों ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक वैरिएबल

नई दिल्ली | गुरुवार, 4 जुलाई 2024

बिज़नेस स्टैंडर्ड

एश्ली वर्माज

नई दिल्ली, 3 जुलाई

जून महीने में शहरी उपभोक्ता धारणा जुलाई 2019 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) का शहरी भारत का उपभोक्ता धारणा सूचकांक जून में 60 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यह सूचकांक इसके पिछले यानी मई माह की तुलना में छह फीसदी बढ़ गया और इसने ग्रामीण क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन किया।

इस सूचकांक की गणना सीएमआईई के कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे के आधार पर होती है। इसमें परिवारों की स्थितियां, उनकी अपेक्षाएं और उपभोक्ता सामान पर खर्च करने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखा जाता है।

हालांकि पूरे भारत के सूचकांक में 0.3 फीसदी की गिरावट आई। इसका कारण ग्रामीण क्षेत्र का कमजोर होना है। ग्रामीण उपभोक्ता धारणा वित्त वर्ष 25 में अपने सर्वाधिक निचले स्तर पर पहुंच गई हुई।

स्टॉक सीमा से गेहूं व दाल का दाम मामूली बढ़ा

संजीव मुखर्जी

नई दिल्ली, 3 जुलाई

केंद्र सरकार ने दाम नियंत्रित व जमाखोरी पर निगरानी करने के लिए चना और काबुली चना के स्टॉक पर 21 जून को सीमा लगाई थी। इसके बाद सरकार ने गेहूं के स्टॉक की सीमा तय की थी। दालों पर सीमा 30 सितंबर तक लगाई गई है और इसके बाद समीक्षा की जाएगी। हालांकि गेहूं पर मार्च 2025 तक सीमा लगाई गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 21 और 26 जून को लगाई गई स्टॉक सीमा के बाद इन जिंसों के दामों में मामूली इजाफा हुआ है। उदाहरण के तौर पर स्टॉक सीमा लगाए जाने के बाद गेहूं के औसत दाम में वृद्धि हुई। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार 1 अप्रैल से 26 जून (स्टॉक सीमा लगाए जाने तक) तक अखिल भारतीय स्तर पर गेहूं का थोक मूल्य 1.3 प्रतिशत बढ़ा था। इसके बाद दाम में 0.36 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई।

हालांकि निजी कारोबारियों के अनुसार कुछ केंद्रों में गेहूं के दाम में वृद्धि हुई है और यह मामूली नहीं है। उन्होंने बताया कि मार्केट में गेहूं की आपूर्ति की अत्यधिक कमी है और अभी भी कुछ बड़े कारोबारियों के पास भंडार है। उनके अनुसार जब तक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) गेहूं का स्टॉक नहीं है, उन्हीं करेगा तब तक दाम में अधिक बदलाव नहीं आएगा।

गेहूं के कारोबारियों, थोक विक्रेताओं और बड़े श्रृंखलाबद्ध रिटेलरों को 26 जून से शुरू हुई तारीख के 30 दिनों के अंदर स्टॉक को तय सीमा में करना है। कारोबारियों के अनुसार गेहूं के मुकाबले दालों के दाम अधिक गिरे हैं। इसका कारण यह है कि सर्वप्रथम गर्मियों में दाल की मांग कम होती है और इस मौसम में तला हुआ भोजन कम खाया जाता है।

दूसरा, दालों के आयात पर शून्य शुल्क है। तीसरा, आयातकों को दालों की आयातित खेप को 45 दिनों से अधिक रोकने से रोका गया है। लिहाजा उन्हें बाजार में तेजी से दालों का स्टॉक जारी करने को मजबूर किया गया है।

201 नैनो आदर्श गांव बनेंगे

उर्वरक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इफको आगामी खरीफ सत्र में 201 'नैनो आदर्श गांव' विकसित करने के लिए करीब 80 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। यह संभवतः अपनी तरह का पहला प्रयास है।

इफको इन मॉडल विलेज या क्लस्टर में किसानों को नैनो उत्पाद जैसे नैनो यूरिया या डीएपी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सूत्रों ने बताया कि इस पहल के तहत 21 राज्यों में 201 नैनो आदर्श गांव या क्लस्टर चिह्नित किए गए हैं। *बीएस*

डिस्ट्रिक्ट्स.. बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के निबंधन एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिजनेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए।
मै. बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए और समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

